न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 135/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रामदास पुत्र आनन्ददास जाति वैष्णव (साद) निवासी देवली हुल्ला तहसील सोजत जिला पाली।		1. जगदीश गिरी पुत्र हीर गिरी जाति गोस्वामी निवासी देवली हुल्ला तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भुण्डाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक :– 27/05/2024

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 156 रकबा 1.3800 है0, खसरा नंबर 156/1 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 157 रकबा 0.9900 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 153/2 रकबा 0.7200 है0 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। जमाबंदी में 156, 156/1, 157 में पहुंचने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 153/2 के साथ संलग्न है जो लाल रंग से दर्शित है जो मार्क ए से बी हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला तहसील सोजत मे स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो देवली हुल्ला के खसरा नंबर 153/2 कृषि भूमि में विद्यमान हेतु सुचारू कर उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित ए से बी रास्ते को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 10.05.2022 को बावजूद सूचना/तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।'

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1133 दिनांक 14.03.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिंपोर्ट में अंकित किया** कि सरहद मौजा देवली हुल्ला के ख0नं0 156 व 157 के खातेदार रामदास पुत्र आनन्ददास, सोहनदास पुत्र आनन्ददास जाति साद हैं। उक्त खसरों में आने जाने हेतु खसरा नंबर 153/2 में से रास्ते की मांग की गई हैं। प्रस्तावित भूमि ग्राम की आबादी से 1 किमी. दूरी पर तथा देवली हुल्ला से बगड़ी जाने वाली डामर सड़क पर स्थित हैं। प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में उक्त खसरें में अरण्डी की फसल खड़ी हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 242 मीटर ×.4 मीटर = 0.0968 है0 हैं। ख0नं0 153/2 रकबा 0.7200 है0 में से 0.0968 है0 भूमि रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 135562/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (135562/- रू0 × 2 × 0.0968 है0 = 26422.80/- रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 153/2 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चण्डावल की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 156 रकबा 1.3800 है0, खसरा नंबर 156/1 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 157 रकबा 0.9900 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

अप्रार्थी के खसरा नंबर 153/2 रकबा 0.7200 है0 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 162 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 156 रकबा 1.3800 है0, खसरा नंबर 156/1 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 157 रकबा 0.9900 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 153/2 रकबा 0.7200 है0 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 153/2 में से (135562/– रू0 × 2 × 0.0968 है0 = 26422.80/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	153/2 चा.सो. जा.सो. बजड़	0.7200 है0	जगदीशगिरी पुत्र हीरगिरी हिस्सा-पूर्ण जाति-गुसाई सा. देह खोतदार राहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा बगड़ी	242 मी0× 4 मी0 = 0.0968 है0	26422.80 /-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली